कार्यालय जनपद न्यायाधीश,कुशीनगर,स्थान–पडरौना।

विज्ञप्ति –वास्ते यू.पी.एस.बैटरी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यू.पी.एस. हेतु 52 (बावन) एक्साइड या एमरोन बैटरियां, जो 12 वोल्ट 28 ए.एच. की हो व जिनकी कम से कम चार वर्ष की ऑन साइट वारन्टी (Onsite Warranty) हो को क्रय किए जाने के साथ–साथ जनपद न्यायालय कुशीनगर,स्थान–पड़रौना में उपलब्ध 52 पुरानी बैटरियों को वापस खरीदने (Buy Back Scheme के अन्तर्गत) हेतु पंजीकृत व अधिकृत फर्मों से सील बन्द टेण्डर/निविदा दिनांक. 20.02.2016 को सायं 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं, नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डर/निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। उक्त टेण्डर/निविदा उसी दिन सांय समय 4.00 बजे समिति द्वारा खोले जायेंगे। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि 5000.00 रू. नकद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश कुशीनगर, के नाम देय है, जो नजारत में जमा करना होगा व टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दिया जायेगा। बैटरियों का विवरण व टेण्डर की नियम व शर्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट ecourts.gov.in/kushinagar तथा शासन की अधिकारिक वेबसाइट www.kushinagar.nic.in पर उपलब्ध हैं। टेण्डर के नियम व शर्ते उपरोक्त वेबसाइट तथा मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। टेण्डर/निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म टेण्डर की नियम व शर्तो के अनुसार ही अपनी निविदा प्रस्तुत करें।

04.02.16	4.2.16	04.02.16
(रजनीश मोहन वर्मा)	(सिद्धार्थ सिंह)	(साकेत बिहारी 'दीपक')
सदस्य कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/	सदस्य कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/	अध्यक्ष, कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/
सिविल जज (जू0डि0)	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	अपर जिला जज कोर्ट नं0 2
कुशीनगर	कुशीनगर	कुशीनगर ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर,स्थान–पडरौना।

यू.पी.एस.बैटरी हेतु निविदाओं के अनिवार्य नियम व शर्तें

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय कुशीनगर हेतु एक्साइड या एमरोन कम्पनी की 12 वोल्ट 28 ए.एच.की 52 बैटरियां कय किये जाने के संबंध में दिनांक 20.02.2016 को सांय 3.00बजे तक पंजीकृत व अधिकृत फर्मो से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म सेल टैक्स व राज्य को अदा किए जाने वाले अन्य करों हेतु पंजीकृत होनी चाहिए।
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म को जनपद न्यायालय कुशीनगर में बैटरियां स्थापित करने वाले स्थल पर उपरोक्त बैटरियों हेतु उनकी स्थापना के उपरांत न्यूनतम चार वर्ष की ऑन साइट वारन्टी (Onsite Warranty) देना अनिवार्य है।
4. जनपद न्यायालय कुशीनगर में उपलबध निम्नलिखित 52 बैटरियां इसी निविदा के साथ निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के द्वारा बाई बैक स्कीम के अन्तर्गत खरीदी जानी है, अतः उक्त 52 बैटरियों के खरीद मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म अपना मूल्य दर प्रस्तुत करें।

   जनपद न्यायालय कुशीनगर में विकय/वापसी हेतु उपलब्ध पुरानी बैटरियों का विवरणः–

   1. एमरोन 12वोल्ट–28 ए.एच. की 35 बैटरियां
   2. हाई पावर की 12 वोल्ट 26 ए.एच. की 17 बैटरियां

   कुल = 52 बैटरियां
5. यू.पी.एस. की बैटरी हेतु सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 20.02.2016 को ही उक्त समिति के समक्ष सायं 4.00 बजे जनपद न्यायालय कुशीनगर के सभागार कक्ष में समिति द्वारा खोली जायेगीं। निविदा प्राप्त होने की नियत अन्तिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म यदि चाहे तो अपने अधिकृत प्रतिनिधि को निविदाएं खोले जाने के समय भेज सकती है।
6. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म सभी करों को सम्मिलित करते हुए ही अपना कोटेशन/दर प्रस्तुत करे, एक बार निविदा प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद कोटेशन की दर और/या कर मे कोई वृद्धि अनुमन्य नही होगी और दी गई कोटेशन/दर ही अन्तिम होगी।
7. जनपद न्यायालय कुशीनगर द्वारा एक्साइड या एमरोन यू.पी.एस.की 12वोल्ट 28ए.एच. की 52 बैटरियां को कय किये जाने हेतु जारी निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत से अथवा जनपद

न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट से अपलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। यह निविदा फार्म 100.00 रू. (एक सौ रू. मात्र) का शुल्क केन्द्रीय नजारत कुशीनगर में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है और यह निविदा फार्म धरोहर/जमानत राशि अंकन 5000.00 के साथ जमा किया जाना है। उक्त निविदा फार्म शुल्क व निविदा धरोहर राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जनपद न्यायाधीश ,कुशीनगर के नाम देय है। जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर निविदा फार्म शुल्क डाउनलोड किये गये मूल निविदा फार्म के साथ नकद या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश के नाम धरोहर राशि सहित निविदा प्राप्त होने की नियत अन्तिम तिथि व समय से पूर्व केन्द्रीय नजारत कुशीनगर में प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म की होगी।

8. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार धरोहर/जमानत धनराशि को, राष्ट्रीय बचत पत्रो, राष्ट्रीयकृत बैंको के मियादी जमा रसीदों बैंक जमा रसीदें इत्यादि के रूप में भी " जनपद न्यायाधीश कुशीनगर " के पक्ष में जमा किया जा सकता है।

9. निविदाओं की नियम एवं शर्तो का किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय कुशीनगर में समय 10.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है या जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर अवलोकित की जा सकती है।

10. निविदा के साथ जमा की गई धरोहर/जमानत धनराशि नकद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंको के मियादी जमा रसीद टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जावेगी।

11. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म निविदा सीलबन्द लिफाफे में नियत अन्तिम तिथि व समय से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, कुशीनगर में प्रस्तुत करें व सीलबन्द लिफाफे के ऊपर 'यू.पी.एस. बैटरियां हेतु निविदा' का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फर्म के नाम का भी उल्लेख करें।

12. समस्त बैटरियां आपूर्ति कर्ता को नजारत अनुभाग जजशिप कुशीनगर,स्थान–पड़रौना में स्वंय अपने व्यय/खर्चे पर पहुँचा कर न्यायालय में स्थापित करनी होगी और समस्त पुरानी बैटरियां अपने व्यय/खर्चे पर नजारत अनुभाग जजशिप कुशीनगर,स्थान–पड़रौना से प्राप्त करनी होगी।

13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला जज कुशीनगर में निहित है और इस संदर्भ में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

14. बैटरियों की आपूर्ति किए जाने की संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए बजट के अनुसार निविदाकर्ता फर्म को बतायी जायेगी, जो 52 बैटरियों की संख्या से घट या

बढ़ सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए बजट से अधिक क्रय राशि होने पर बैटरियों का क्रय मूल्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शेष बजट उपलब्ध करवाये जाने पर ही होगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल मात्र जनपद न्यायालय कुशीनगर को ही होगा।

Rajverma 04.02.16
(रजनीश मोहन वर्मा)
सदस्य कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/
सिविल जज (जू0डि0)
कुशीनगर

S. Singh 4.2.16
(सिद्धार्थ सिंह)
सदस्य कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुशीनगर

04.02.16
(साकेत बिहारी 'दीपक')
अध्यक्ष, कम्प्यूटराईजेशन कमेटी/
अपर जिला जज कोर्ट नं0 2
कुशीनगर ।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कुशीनगर,स्थान–पडरौना।

यू.पी.एस.के लिये एक्साइड या एमरोन कम्पनी की 12 वोल्ट, 28 ए.एच. की 52 बैटरियों हेतु

आवेदन पत्र /टेण्डर फार्म

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्व – प्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करें।

टेण्डर वास्ते यू.पी.एस. हेतु 52 (बावन) एक्साइड या एमरोन की बैटरियां, जो 12 वोल्ट 28 ए.एच. की हो व जिनकी कम से कम चार वर्ष की ऑन साइट वारन्टी (Onsite Warranty) हो को कय किए जाने के साथ–साथ जनपद न्यायालय कुशीनगर में उपलब्ध 52 पुरानी बैटरियों को वापस खरीदने (Buy Back Scheme के अन्तर्गत) हेतु

अग्रिम जमा धरोहर राशि–	5000.00रू.
अग्रिम धरोहर राशि जमा करने का तरीका .	
बैटरी का नाम व स्पेशिफिकेशन	
बैटरी की ऑन साइट वांरटी की अवधि (जो न्यूनतम चार वर्ष हो)	
आवेदक फर्म का नाम	
आवेदक फर्म का पत्र व्यवहार का पूरा पता	
आवेदक फर्म के कार्यालय का पूरा पता	
आवेदक फर्म से सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर	
आवेदक फर्म से सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर	
आवेदक फर्म का एक्साइड या एमरोन बैटरी बेचे जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी से अधिकृत होने सम्बन्धित विवरण, जैसे की कम्पनी की डीलरशिप आदि का विशिष्ट उल्लेख करें। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें)	

एक पुरानी बैटरी वापिस लेते हुए एक नई एक्साइड या एमरोन बैटरी 12 वोल्ट 28 ए.एच. हेतु आवेदक फर्म द्वारा सभी खर्चों व करों को सम्मिलित करते हुए निविदा की नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रस्तुत मूल्य	
52 पुरानी बैटरियां वापिस लेते हुए 52 नई एक्साइड या एमरोन बैटरियों 12 वोल्ट 28 ए.एच. हेतु आवेदक फर्म द्वारा सभी खर्चों व करों को सम्मिलित करते हुए निविदा की नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रस्तुत मूल्य	

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के दो परिचय दाताओं के नाम व पता

1. हस्ताक्षर–
   नाम–
   पता–

2. हस्ताक्षर–
   नाम–
   पता–

यह निविदा प्रस्तुत करने से पहले मैंने सभी नियम व शर्तो को भली–भॉति पढ़ लिया है और यह निविदा विज्ञप्ति की नियम व शर्तो के अधीन प्रस्तुत की जा रही है। जितनी बैटरियों के लिए आदेश प्रस्तुत किया जायेगा, उतनी संख्या में बैटरियां उपलब्ध करवायी जायेगीं और बैटरियों की संख्या आदेश के अनुसार 52 से कम या ज्यादा हो सकती हैं, जिसके लिए हमारी सहमति है और इस बात को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक / टेण्डरदाता / निविदा प्रस्तुत करने
वाली फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर